1909 का भारत परिषद अधिनियम (INDIAN COUNCILS ACT OF 1909)

For P.G. Sem-3,CC-13

विधान परिषद में अत्यधिक प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय तथा बजट प्रस्तुत करने तथा उसमें संशोधन रखने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार हेतु लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव की अनुमति से अपनी परिषद की एक समिति नियुक्त की। इसी समिति की सहायता से मार्ले एवं मिंटो ने स्थानीय संस्थाओं की राय जानकर वह योजना बनाई जिसके आधार पर **17 फरवरी 1909** को **लार्ड मार्ले** ने हाउस ऑफ कॉमंस के सामने इंडियन काउंसिल बिल रखा जो **15 नवंबर 1909** को राजकीय अनुमोदन के पश्चात **इंडियन काउंसिल एक्ट -1909** के नाम से लागू हुआ।

1909 के अधिनियम में मात्र **8 धाराएं** थी तथा अधिकांश बातें भविष्य में विनियमन के लिए छोड़ दी गई थी । अधिनियम में उद्देश्य और कारण हेतु प्रस्तावना देने की जिस प्रथा की शुरुआत 1861 में हुई थी उसका निर्वहण किया गया। प्रस्तावना में विधान परिषदों के संगठन, संविधान और कार्यों में परिवर्तन करने तथा प्रांतीय प्रशासन में सुधार की बात कही गई थी।

Scanned with CamScanner

अधिनियम की मुख्य धाराएं

1. अधिनियम में गवर्नर जनरल की अधिनियम और नियम बनाने की परिषद को पहली बार ***केंद्रीय विधान परिषद*** कहा गया। इसके अधिकतम अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर **60** कर दी गई । गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के 7 सदस्य तथा एक असाधारण सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के ***पदेन सदस्य (ex-officio)*** होते थे। इस प्रकार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या **69** होती थी। इसमें सरकारी तत्वों का पर्याप्त बहुमत रखा गया था। 60 अतिरिक्त सदस्यों में **28 सरकारी** तथा **32 गैर सरकारी** सदस्य थे। सभी सरकारी सदस्य तो गवर्नर जनरल द्वारा **मनोनीत** होते ही थे, **पांच** गैर सरकारी सदस्य भी मनोनीत किए जाते थे। शेष **27 सदस्यों के लिए सांप्रदायिक आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत निर्वाचन** की व्यवस्था थी।
2. अधिनियम की **धारा छः** में परिषद सहित गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वह परिषद सहित भारत सचिव की सहमति से विधान परिषद के सदस्यों के नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन की शर्तें तय कर सके। जो नियम बनाए गए वह बड़े व्यापक थे तथा उनका उद्देश्य सभी हितों को प्रतिनिधित्व स्थापित करना था। 27 निर्वाचितों का चुनाव **तीन** तरह के मंडल द्वारा होना था। 13 सदस्य साधारण निर्वाचन मंडल से आने थे, जिन्हें प्रांतीय विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य चुनते थे। बंगाल, मद्रास, मुंबई और

Scanned with CamScanner

संयुक्त प्रांत से दो-दो तथा पंजाब, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा, बर्मा तथा मध्य प्रांत से एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित होना था। विशेष वर्ग निर्वाचक मंडल के अधीन 6 स्थान जमींदारों को तथा 6 स्थान मुस्लिमों को दिए गए थे। जमींदारों के निर्वाचक मंडल द्वारा बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, संयुक्त प्रांत तथा मध्य प्रांत से एक-एक सदस्य निर्वाचित किए जाने का प्रावधान था जबकि मुस्लिमों के लिए आरक्षित 6 सीटों को बंगाल से दो, मद्रास बंबई ,संयुक्त प्रांत तथा बिहार और उड़ीसा के एक-एक प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता था। शेष 2 स्थान बंबई तथा बंगाल के वाणिज्य को दिए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद के इन सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता था लेकिन यह अवधि गवर्नर द्वारा बढ़ाई जा सकती थी।

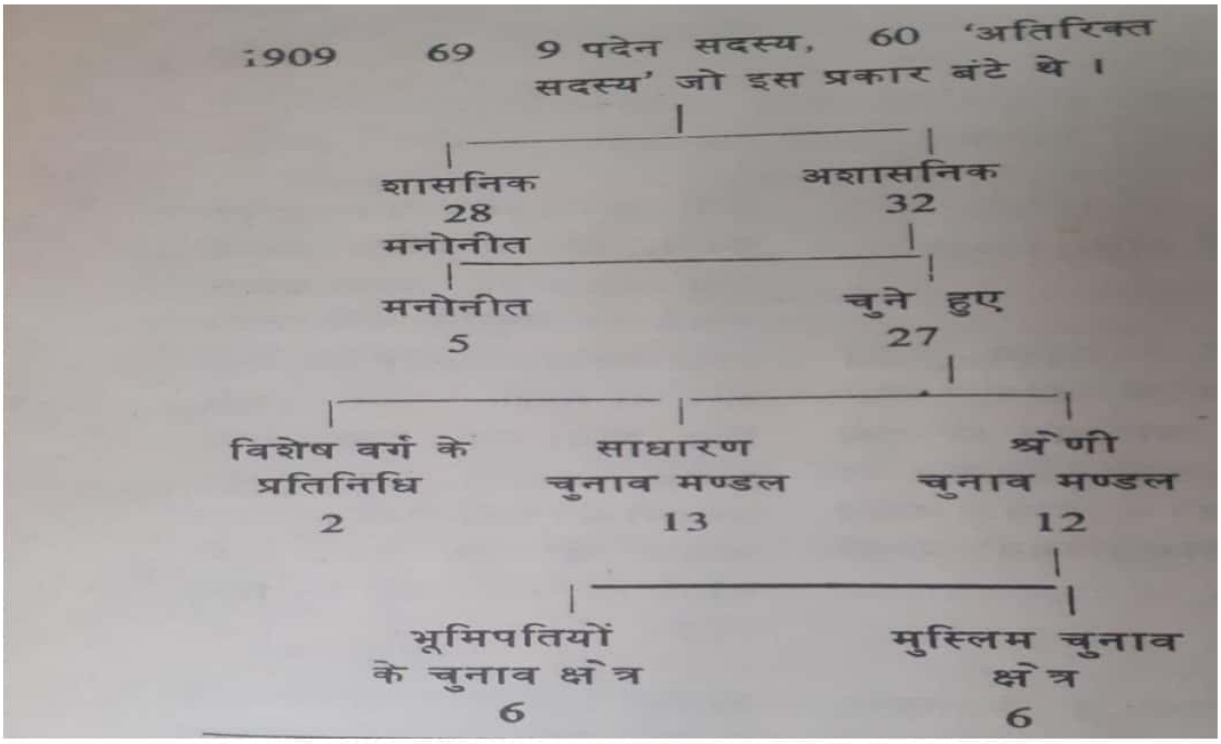

Scanned with CamScanner

3. इस अधिनियम के जरिए प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत के प्रांतीय कौंसिलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर **50** कर दी गई, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। छोटे प्रांतों के लिए संख्या **30** तक सीमित रही।
4. 1909 के अधिनियम के फलस्वरुप कार्यकारी परिषद में भी विस्तार हुआ। अधिनियम के साथ इस इरादे की घोषणा की गई थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में तथा **बंगाल** और **बंबई** की कार्यकारी परिषदों में **एक-एक** भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा ।इसी के तहत 1907 में ही इस अधिनियम पारित होने के पहले ही **सत्येंद्र प्रसन्न सिंह** को **वायसराय की कार्यकारी काउंसिल** में एक **कानून सदस्य** के रूप में **भारत के प्रथम व्यक्ति** के रूप में प्रवेश का मौका मिला। भारत सचिव की परिषद में भी **दो** भारतीय **के.सी. गुप्ता** और **सैयद हुसैन बिलग्रामी** को इंग्लैंड स्थित काउंसिल में नियुक्त किया गया। मद्रास और मुंबई के भी कार्यकारी पार्षदों की संख्या 2 से बढ़ाकर **चार** कर दी गई जिनमें कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे होने थे जो कम से कम 12 वर्षों तक भारत में राजमुकुट की सेवा कर चुके हो। परिषदों की बैठक में मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर निर्णायक मत दे सकता था।

To be continued....

BY ARUN KUMAR RAI

Asst.Professor,Maharaja College,Ara.

Scanned with CamScanner